कार्यालय निदेशक,
उ0प्र0 वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान,
कानपुर।

सं0 /   दिनांक, ,2017

सूचना

संस्थान में सत्र 2017–18 में मेस संचालन हेतु सभी मेस संचालकों से दिनांक 03.08.2017 तक अनुबन्ध पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। मेस संचालन संबंधी नियम एवं शर्तें तथा मेन्यू संस्थान की वेबसाइट **www.uptti.ac.in** पर उपलब्ध है। उक्त नियम एवं शर्तें संस्थान के प्रधान सहायक श्री रामयज्ञ यादव (मो0नं0–8736900336) से संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

(डा0 प्रमोद कुमार)
प्रोफेसर/डीन आफ स्टूडेन्ट

सं0 1909-12 /   दिनांक, 27-7-,2017

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, संस्थागत।
2. संस्थान के सभी नोटिस बोर्ड।
3. छात्रावास के सभी नोटिस बोर्ड।
4. कुलसचिव, संस्थागत को इस आशय से प्रेषित कि कृपया संस्थान की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(डा0 प्रमोद कुमार)
प्रोफेसर/डीन आफ स्टूडेन्ट

Shri Rajiv
Please scan & send to
my Email.

संस्थान में सत्र 2017–18 में मेस संचालन हेतु नियम एवं शर्तें।

1. मेस संचालक के पास मेस संचालन का कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो।
2. मेस संचालक को अपना तथा अपने कर्मचारियों का पूर्ण विवरण आधार कार्ड की प्रतिलिपि सहित संस्थान में जमा करना होगा। सत्र के बीच में भी किसी कर्मचारी के छोड़ने अथवा ज्वाइन करने की स्थिति में तत्काल उसकी सूचना संस्थान को (दो दिन के अन्दर) देनी होगी।
3. मेस संचालक का जी0एस0टी0 / टिन / अथवा श्रम विभाग में पंजीकरण आवश्यक होगा।
4. मेस चलने की स्थिति में बिजली, पानी एवं अनुरक्षण मद में रू0 5000 / – प्रतिमाह संस्थान में महीने की 10 तारीख तक जमा करना होगा।
5. मेस में साफ सफाई के उच्च मानक समाहित करने होगें जिसका खर्च मेस संचालक को वहन करना होगा।
6. छात्रों से मेस का चार्ज मेस संचालक अपने स्तर से एकत्रित करेगा।
7. मेस संचालक खाना बनाने हेतु कामर्सियल गैस सिलेण्डर का ही प्रयोग करेंगें। किसी भी प्रकार की लकडी, कोयला अथवा उपलों का दहन वर्जित होगा एवं रू0 5000 / – का अर्थदण्ड देय होगा।
8. किसी भी छात्र द्वारा अनुशासनहीनता करने की स्थिति में उसकी सूचना तत्काल सहायक छात्रावास अधीक्षक / छात्रावास अधीक्षक को देना आवश्यक होगा।
9. मेस संचालक को मेस प्रारम्भ होने से पूर्व रू0 25000 / – सिक्यूरिटी मनी जमा कराना होगा जोकि सत्र समापन पर सभी स्थितियाँ सामान्य रहने पर वापस किया जायेगा।
10. मेस संचालक को खाना बनाने हेतु गैस, चूल्हा, बर्तन (थाली, प्लेट आदि) अपने प्रयोग करने होगें। संस्थान किसी भी प्रकार के बर्तन अथवा बारदाना प्रदान नहीं करेगा।
11. मेस संचालक ये सुनिश्चित करेंगें कि वो अथवा उनके कर्मचारी किसी भी प्रकार के पान मशाला, गुटखा, बीडी, सिगरेट एवं शराब का प्रयोग नहीं करेगा। इन कृत्यों में लिप्त पाये जाने वाले कर्मचारी पर तत्काल कार्यवाही की जायेगी और मेस संचालक का कार्य आदेश निरस्त किया जा सकता है और कर्मचारी पर रू0 500 / – का जुर्माना देय होगा।
12. एक मेस संचालक एक ही मेस का संचालन कर सकता है। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने की स्थिति में मेस संचालक का कार्य आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।
13. मेस संचालक का कार्य आदेश सत्र 2017–18 के लिए होगा। जो जून, 2018 में स्वतः समाप्त हो जायेगा।
14. सत्र के मध्य में मेस संचालक द्वारा संस्थान प्रशासन को अवगत कराये बिना मेस बन्द करने पर सिक्यूरिटी मनी जब्त कर ली जायेगी।